मुंबई से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गये। यह घटना सोमवार तड़के करीब 3:27 बजे हुई, उस वक्त ट्रेन में अधिकांश यात्री सो रहे थे। हादसा जोधपुर के राजकियावास-बोमादरा क्षेत्र में हुआ। हादसे में 24-25 घायल हुये हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हादसे का जायजा लेने घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र रेलवे ट्रैक दुरुस्त करवाकर आवागमन पुनः शुरु करवाने के निर्देश दिये।

मुम्बई से आ रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पहुंचे, कम घायलों को 25 हजार और एक गंभीर घायल को एक लाख रु. सहायता दी

- हादसा सुबह साढ़े तीन बजे जोधपुर मंडल के राजकियावास-बोमादरा में हुआ
- हादसे में दो दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर है, कोई बड़ी हानि नहीं हुई।
- हादसे के बाद कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कुछ का मार्ग बदला गया है।

जोधपुर/पाली, 2 जनवरी (कासं)। मुंबई से जोधपुर आ रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 14 डिब्बे आज तड़के पटरी से उतर गए। हादसे के समय यात्री नींद में थे। हादसा प्रात: 03.27 बजे जोधपुर मंडल के राजकियावास-बोमादरा के बीच हुआ। हादसे में करीब दो दर्जन यात्री घायल हुए है, कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद जोधपुर से जाने वाली अन्य ट्रेनों का रुट प्रभावित हुआ। तथा कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है।

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। जोधपुर से दुर्घटना राहत गाड़ी रवाना कर दी गई। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सुबह 4 बजे घटना की जानकारी ली तथा अधिकारियों को राहत कार्य पर ध्यान देने के निर्देश दिए। जयपुर मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में विजय शर्मा, महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे सहित अन्य उच्च अधिकारी स्थिति को मॉनिटर करने में जुटे रहे। जोधपुर से डीआरएम ने मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरू करवाया। उन्होंने हालात का जायजा लिया तथा पीड़ित यात्रियों से बात कर ढांढ़स बंधाया। रेलवे ने पाली स्टेशन जोधपुर स्टेशन पर हैल्प डेस्क के साथ हैल्प लाइन नंबर जारी किए। करीब चार दर्जन एम्बुलेंस से यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। दोपहर को शेष बचे डिब्बों को लेकर रेल जोधपुर पहुंची।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पाली के निकट हुए इस हादसे का जायजा लेने घटना स्थल पहुंचे।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेलसेवा में कुल 1135 यात्री थे, हादसे के बाद 725 यात्रियों को इसी गाडी के अगले 9 डिब्बों में, 185 यात्रियों को सरकारी बसों तथा शेष यात्रियों को निजी साधनों से गतंव्य स्थान तक पहुंचाया गया। यात्रियों के लिये पाली मारवाड और जोधपुर स्टेशनों पर जलपान की व्यवस्था की गई तथा जोधपुर व पाली मारवाड स्टेशनों पर हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किये गये।

रेलमंत्री ने घायल यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिये 16 यात्रियों को 25-25 हजार रूपये तथा गंभीर रूप से घायल एक यात्री को 1 लाख रूपये की सहायता देने की घोषणा की तथा रेलवे प्रशासन ने अस्पताल में ही घायलों को यह राशि प्रदान की।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है और इसको सुदृढ करना प्रथम उद्देश्य है। रेलमंत्री ने दुर्घटना की जांच के लिये रेल संरक्षा आयुक्त को जांच के आदेश प्रदान किये हैं और कहा कि हादसे के कारणों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। वैष्णव ने कहा कि वे स्वयं इस घटना की मॉनिटरिंग सुबह 4 बजे से कर रहे थे और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा भी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 1 यात्री को छोडकर अन्य यात्री उपचार के पश्चात् सकुशल अपने घर चले गये है।

हादसे की वजह से कुछ रेलें रद्द की गई हैं:

गाड़ी ड़ी संख्या 14819, जोधपुर-साबरमती रेलसेवा दिनांक 02.01.23 को रदद की गई। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14804, साबरमती-जैसलमेर रेलसेवा दिनांक 02.01.23 को भी रद्द किया गया। गाड़ी संख्या 14893, जोधपुर-पालनपुर रेलसेवा दिनांक 02.01.23 को भी किया गया है। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14894, पालनपुर-जोधपुर रेलसेवा दिनांक 03.01.23को रद्द कर दी गई।

कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण से पार्टी की साख पर सवाल उठे?

सवाल है कि, क्या विधायकों से दबाव डालकर इस्तीफे लिए गए थे या विधायक वाकई में आलाकमान को कुछ नहीं समझते हैं

- इस्तीफे का प्रकरण कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कोर्ट ने स्पीकर से जवाब मांगा है, जिन्हें नियमानुसार इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
- अब देखना है कि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी अदालत में क्या जवाब पेश करते हैं।

जयपुर, 2 जनवरी (का.प्र.)। 25 सितंबर को राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की ओर से समानांतर विधायक दल की बैठक करने और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे देने का मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। यह मामला कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। एक ओर तो 97 दिन के बाद इन विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ ने 10 दिन में इस्तीफों पर फैसला करने तथा न्यायालय को इस से अवगत कराने को कहा है। ऐसे में अब राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी और न्यायालय के बीच इस मामले का क्या निर्णय होगा, यह देखना काफी रोचक होगा।

विधानसभा अध्यक्ष न्यायालय में क्या जवाब देते हैं या वे जवाब नहीं देते हैं। यह उनका विषय है, यह इतिहास पहला ऐसा मामला है जहां सत्तारुढ़ पार्टी के विधायक अपने ही पार्टी आलाकमान की आज्ञा का उल्लंघन करके ना सिर्फ समानांतर विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं, बल्कि इस्तीफा भी दे रहे हैं। इससे दो बातें निकल कर आ रही है कि या तो राजस्थान के कांग्रेस विधायक आलाकमान को कुछ नहीं समझते हैं। क्योंकि इस्तीफा दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि यदि आलाकमान उनके अनुरूप व्यवहार नहीं करेगा, तो वह सरकार को भी गिरा सकते हैं। या फिर इस्तीफे इसलिए दिए गए थे कि किसी ने इन विधायकों को प्रलोभन दिया था या दबाव बनाया था। इसमें नियम कायदों का भी मुद्दा है, विधायक और मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं तो मंत्री जहां इस्तीफे के बावजूद मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल होकर नियम कायदे बना रहे हैं वही वधायक भी इस्तीफा देने के बाद विधानसभा से वेतन भत्ते का लाभ पा रहे हैं। अब या तो मंत्री - विधायक यह कहें कि उन्होंने इस्तीफे दिए ही नहीं थे, या यह स्पष्ट करें कि उन्होंने इस्तीफे दिए थे और इस अवधि के दौरान उन्हें मिलने वाले वेतन - भत्ते में वापस विधानसभा को लौटाएंगे। यही वह सवाल है जो विपक्ष भी उठा रहा है और आमजन भी।

इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है उसे बचाने के लिए कांग्रेस अब कौन सा कदम उठाएगी यह देखना भी महत्वपूर्ण है। साख का सवाल इसलिए है कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही पार्टी विधायक दल की बैठक तय की गई थी और उस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मलिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के तत्कालीन प्रभारी अजय माकन को भेजा गया था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री निवास पर विधायकों का नहीं आना और विधायकों पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी वाले संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से विधायक दल की बैठक को छोड़कर समानांतर विधायक दल की बैठक में मौजूद रहना, सीधे-सीधे आलाकमान के आदेश का उल्लंघन था। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं को अनुशासनहीनता के तहत नोटिस दिया गया और इस काम में सहयोग करने वाले धर्मेंद्र राठौड़ को भी नोटिस मिला। हालांकि तीनों पर अब तक कार्यवाही पेंडिंग है।

पार्टी की साख का सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि या तो पार्टी यह मानें कि जो भी घटनाक्रम हुआ वह सामान्य घटनाक्रम था। यदि पार्टी ऐसा मानती है तो फिर सवाल उठेंगे कि तीन नेताओं को नोटिस किस आधार पर दिए और अगर पार्टी इस मामले को गलत मानती है, जिसके लिए अनुशासनहीनता के नोटिस दिए गए, तो फिर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अब जब उच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई चल रही है और 23 जनवरी से विधानसभा सत्र बुला लिया गया है, तो आनन-फानन में इस्तीफे वापस भी करवा दिए गए हैं।

वैसे पूरा घटनाक्रम यह है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के कहलाने वाले विधायकों ने बीते 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया। इस पर कोर्ट गए राजेंद्र राठौड़ की ओर से कहा गया कि अगर कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। सिर्फ यह जांच की जा सकती है कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या फर्जी। को लेकर ही जांच की जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बडी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हो या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों। राठौड़ की ओर से न्यायालय में गुहार की है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए। स्पीकर के समक्ष बसपा से दल बदल कर कांग्रेस में आए विधायकों का मामला लंबित है। ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इन विधायकों के इस्तीफों पर भी स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे।

रायपुर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया जायेगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मीटिंग में अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यु.सी.) का भी चुनाव होगा, जबकि आधी सी.डब्ल्यु.सी. को कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत करेंगे।

वेणुगोपाल ने कहा कि इस सत्र में आधा दर्जन प्रस्ताव, जिनमें राजनैतिक स्थिति, अर्थव्यवस्था एवं कृषि से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल होंगे, पारित किये जायेंगे। पार्टी के इस पूर्ण सत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (पी.सी.सी.) के 9,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के उपस्थिति होने की संभावना है।

केवल धूल में लट्ठ मार रहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पद के लिये हुये मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव की अभिपुष्टि करेगा तथा इसी सत्र में कांग्रेस समिति के चुनाव भी होंगे। इसके बाद, ए.आई.सी.सी. तथा कुछ राज्यों में पार्टी के पुनर्गठन की प्रक्रिया सम्पन्न हो सकती है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ए.आई.सी.सी. अधिवेशन के बाद भी "गोल पोस्ट" को आगे खिसकाते रहना चाहता है क्योंकि नेतृत्व को डर है कि अगर गहलोत को हटाया गया तथा उनकी जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया तो गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे।

पायलट, गहलोत के नापसंदीदा व्यक्ति हैं तथा वे इस बात को साफ-साफ कह चुके हैं कि वे पायलट को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे।

सूत्रों का कहना है कि गहलोत कांग्रेस तथा गांधी परिवार को बहुत बड़ा फण्ड देते हैं तथा इसलिये उन्हें गहलोत को हटाने में मुश्किल आ रही है, जबकि वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि गहलोत के नेतृत्व में पार्टी यथेष्ट सीटे नहीं जीत सकती तथा गहलोत का चेहरा पार्टी को जीत नहीं दिला सकता।

सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी की तरह और भी बहुत से नेतागण भी अशोक गहलोत से अनुगृहीत एवं उनके प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि गहलोत, पूरी उदारता के साथ, उनकी जरूरतों तथा हितों का ख्याल रखते हैं। ऐसे परिदृश्य में, यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि नेतृत्व अशोक गहलोत से अनुगृहीत होने तथा सचिन पायलट से किये गये वादे को पूरा करने, फलत: नेतृत्व परिवर्तन करने तथा उन्हें मुख्य बनाने के बीच अँधेरे में फँसा हुआ तथा जब-तब कुछ टटोलता हुआ प्रतीत हो रहा है।

भारत में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले 24 घंटों में, देश में 92,955 लोगों की कोविड जाँच की गई तथा इस प्रकार कोविड जाँचों की संख्या 91.1 करोड़ तक पहुँच गई है।

'विधायकों के त्याग पत्र प्रकरण में 16 जनवरी तक कोर्ट में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें'

- चीफ जस्टिस पंकज मिथल ने राजेन्द्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी को मौखिक आदेश दिए।

जयपुर, 2 जनवरी (का.सं.)। सत्तारुढ़ दल के 91 सदस्यों के 25 सितम्बर को दिए गए इस्तीफों पर 97 दिनों तक निर्णय नहीं करने के प्रकरण में विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ द्वारा दायर की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। गौरतलब है कि राठौड़ की याचिका क्रमांक 18077/22, पर उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किये थे व जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। सुनवाई में राठौड़ ने अपने पक्ष में स्वयं बहस की, वहीं विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा सचिव की ओर से राज्य के महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी उपस्थित हुए और खंडपीठ से राठौड़ की याचिका पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।

राठौड़ ने कहा कि सत्तारुढ़ दल के 91 विधायकों के त्याग पत्र दिये जाने के आज 97 दिन पूर्ण होने के पश्चात् भी उचित निर्णय नहीं हुआ है। चूंकि राज्य सरकार का अंतिम बजट सत्र 23 जनवरी 2022 से आहूत किया गया है अत: त्याग पत्र के प्रकरण पर निश्चित समय में निर्णय होना अति आवश्यक है।

महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी द्वारा जवाब देने के लिए समय माँगे जाने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको समय दिया जा सकता है मगर आपको यह बताना होगा कि क्या इस्तीफ़ों पर निर्णय अनिश्चित समय तक लम्बित रखा जा सकता है? आपको इस सम्बंध में लागू नियमों और प्रक्रिया के अनुसार निर्णय करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता को मौखिक निर्देश दिये कि विधायकों के त्याग पत्र प्रकरण में 10 दिन के भीतर एवं 23 जनवरी को सत्र आहूत होने से पहले निर्णय करें तथा 16 जनवरी तक न्यायालय को 91 सदस्यों के त्यागपत्र प्रकरण पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष व सचिव की ओर से महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी के पैरवी करने पर राठौड ने आपत्ति की और कहा कि संविधान के आर्टिकल 165 में स्पष्ट प्रावधान है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार की तरफ से तो पैरवी कर सकते हैं परन्तु विधानसभा अध्यक्ष व सचिव की तरफ से नहीं। इस पर उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करने के निर्देश दिये कि महाधिवक्ता विधानसभा अध्यक्ष व सचिव की ओर से न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं या नहीं ? महाधिवक्ता ने कहा कि वे अपने जवाब में इस बाबत भी स्पष्टीकरण दे देंगे।

इस्तीफा प्रकरण पर महाधिवक्ता ने जवाब देने के लिए और समय मांगा

- याचिकाकर्ता, विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने समय मांगे जाने का विरोध किया और कहा कि, मामला लटकाने के लिए समय मांगा जा रहा है।
- हालांकि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने जवाब देने के लिए महाधिवक्ता को 16 जनवरी तक का समय दिया।

जयपुर, 2 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से दिए इस्तीफों के मामले में महाधिवक्ता को कहा है कि वे विधानसभा स्पीकर से पूछ कर बताएं कि वह इन इस्तीफों पर कब तक निर्णय कर देंगे।

अदालत ने इसकी जानकारी और मामले में जवाब पेश करने के लिए महाधिवक्ता को 16 जनवरी तक का समय दिया है। सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर दिए। वहीं अदालत ने कहा, कि मामले में पक्षकार बनने के लिए अधिवक्ता पी.सी. भंडारी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को जरूरत महसूस होने पर सुन लिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने पेश होकर मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिसका याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ ने विरोध किया और कहा कि मामले में देरी करने के लिए समय ले रहे हैं। अदालत के पूछने पर राठौड़ ने बताया कि 23 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि सत्र से पहले इन विधायकों के इस्तीफा को लेकर निर्णय किया जाना चाहिए। विधानसभा के बिजनेस रूल्स भी होंगे, तो क्या स्पीकर 1 साल तक भी इन इस्तीफों पर निर्णय नहीं करेंगे? राठौड़ की ओर से यह भी कहा गया कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे विधानसभा की ओर से पैरवी नहीं कर सकते। इस पर भी खंडपीठ ने जवाब मांगा। खंडपीठ ने महाधिवक्ता को 16 जनवरी तक का समय दिया है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पी.सी. भंडारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई। इस पर अदालत ने कहा कि वह कौन है और इस याचिका से उनके अधिकार किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में उन्हें लेकर कोई रिलीफ भी नहीं मांगा गया है। वे चाहे तो अलग से याचिका दायर करें, उन्हें किसने रोका है।

अदालत ने यह भी कहा कि यहां इतने वकील खड़े हैं तो क्या सभी को मामले में पक्षकार बना लें। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि उन्हें जरूरत महसूस होगी तो वह बाद में उनका पक्ष सुन लेंगे।

राजेन्द्र राठौड़ की याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है।

याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। वे सिर्फ यह जांच कर सकते है कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या फर्जी। याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों। विधायकों के इस्तीफे से सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है।

इस्तीफा देने वाले विधायक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए। स्पीकर के समक्ष बसपा से दल बदल कर कांग्रेस में आए विधायकों का मामला लंबित है। ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इन विधायकों के इस्तीफों पर भी स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे।

कर्नाटक का लोकप्रिय दूध ब्राण्ड "नन्दिनी"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो गया तथा राज्य के कन्नड़ ऐक्टिविस्टों तथा संबंधित नेटीजन्स की ओर से "नंदिनी बचाओ" अभियान भी शुरु हो गया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को मांड्या में एक मैगा डेयरी का उद्घाटन करते हुये कहा था कि "अमूल और के.एम.एफ. यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे कि राज्य के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक डेरी हो।"

लेकिन, केन्द्रीय गृह मंत्री के इस बयान को विपक्षी दलों ने अलग ही अर्थ में लिया है तथा उन्होंने आनन-फानन में इसे नंदिनी को कमजोर करने की चेष्टा का रूप दे दिया तथा उन पर आरोपों की बौछार शुरु कर दी कि कर्नाटकवासियों के स्वामित्व वाली यह कंपनी उत्तरी भारत के व्यवसायियों को बेची जा सकती है।

इस प्रकार के अनुमानों का विश्वसनीयता उस समय मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है कि गुजरात के कॉर्पोरेट्स की नजरें कर्नाटक मिल्क डेयरी सैक्टर पर लगी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "दुग्ध-उत्पादन क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों का (आने वाले) सैकड़ों सालों तक स्थाई रूप से पृथक अस्तित्व बना हरेगा।" उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुद्दे को गलत अर्थ में न लें तथा विपक्ष तथा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत की जा रही कहानी के झाँसे में न आयें।

केवल विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के कुछ संबंधित नगरिकों ने भी, ट्विटर का उपयोग करते हुये, "ब्रैंड नंदिनी को कमजोर करने के उद्देश्य वाली किसी भी कोशिश" का विरोध करने के लिये विपक्ष को प्रेरित-प्रोत्साहित किया।

कर्नाटक के आम आदमी की भावनाओं को संक्षेप में तथा सर्वोत्तम तरीके से एक ट्वीट में प्रस्तुत करते हुये एम. रामचन्द्रा ने लिखा, "अमूल भारत का जायका हो सकता है किन्तु हम कन्नड़ लोग अपने नंदिनी से ही खुश हैं, जो अपने आरंभ से ही लगातार हमारे लोक साहित्य का हिस्सा बना हुआ है। प्रिय प्रांतीय नेताओं, कृपया साहस दिखाओं तथा अगर नंदिनी को दफन करने की कोई कोशिश की जाये तो आर-पार की लड़ाई लड़ो। एक बार के लिये, कुछ प्रतिरोध तो दिखाई दे।"

झेंप मिटाने के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं। हम राहुल गांधी को उनके निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं।" राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी न इस मामले में मौन रहने का विकल्प चुना क्योंकि गांधी के आमंत्रण को लेकर उन्होंने "हाँ" या "ना" कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

परामर्शिका के अनुसार कांग्रेस की यात्रा लाल किले के निकट स्थित हनुमान मंदिर, मरघट वाले बाबा से मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर 12 बजे लोनी सीमा पर पहुंचेगी।

उम्मीद है कि यात्रा के मार्ग पर विभिन्न स्थलों पर पदयात्री और वाहन इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुसार यात्रा 3 जनवरी को राज्य में प्रवेश करेगी और 5 जनवरी को हरियाणा में प्रवेश करन से पूर्व राज्य में 120 कि.मी. दूरी तय करेगी।

उमा भारती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के संदेश को भाजपा नेतृत्व के लिए परेशानी के सबब के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि उसे पहले से ही यह आशंका है कि लोधियों का पार्टी के प्रति परम्परागत और निष्ठावान जनाधार आगामी चुनावों मं खिसक सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारती ने हाल ही में लोधी समुदाय के लोगों को भोपाल में संबोधित किया था। उसमें इस समुदाय से जुड़े भाजपा के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था जिनमें विधायक जालम सिंह पटेल व अन्य सहित केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल थे। मध्य प्रदेश में लोधी एक सशक्त ओ.बी.सी. समुदाय है और ग्वालियर, बुंदलेखण्ड तथा महाकौशल में उसकी अच्छी-खासी उपस्थिति है। ब्राह्मण विरोधी टिप्पणियों के कारण लोधी समुदाय के नेता प्रीतम सिंह को भाजपा द्वारा हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद लोधी और ब्राह्मण, जो कि दोनों भाजपा समर्थक हैं, के बीच तनाव बढ़ गया है। जातिगत लड़ाई को और भड़काते हुए उमा भारती प्रकर रूप से अपनी ही पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर रही हैं।

भारती ने पार्टी नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना पहले ही यह घोषणा कर दी है कि राज्य में निषेध के मुद्दे को लेकर उनकी योजना एक आंदोलन करने की है। भाजपा नेतृत्व और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने ही भारती की धमकियों को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तथापि, आने वाले दिनों में भाजपा के भीतर संघर्ष बढ़ने की आशंका है।

40 साल में पहली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आई.एम. एफ. प्रमुख ने आशंका जताई कि चीन की अर्थव्यवस्था में आई मंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। जॉर्जीवा ने कहा "ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।" उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरोपीयन यूनियन (ई.यू.) और चीन सभी में आर्थिक मंदी आ रही है। जॉर्जीवा ने अमेरिका के टी.वी. नैटवर्क सी.बी.एस. को एक साक्षात्कार में बताया कि "हमें लगता है कि विश्व की एक तिहाई अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी है।" उन्होंने आगे कहा कि आधा ई.यू. आर्थिक मंदी में रहेगा।"

ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2022 में आई.एम.एफ. ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को लेकर अपने उज्जवल दृष्टिकोण को बदल लिया था। आई.एम.एफ. प्रमुख ने कहा कि चीन में कोविड-19 केसों में अचानक हुई वृद्धि का चीन की अर्थव्यवस्था पर थोड़ी अवधि के लिए असर रहेगा। उन्होंने कहा कि "चीन के लिए अगले कुछ महीने भारी रहेंगे और उसके आर्थिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीन की और वैश्विक अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि पर भी इसका नकारात्मक असर रहेगा।

लेकिन जॉर्जीवा ने कहा कि अमेरिका मंदी की सबसे बुरी स्थिति से बच सकता है क्योंकि उसके पास एक मजबूत श्रम बाजार है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका "मंदी से बच सकता है" क्योंकि वहां बेरोजगारी बहुत ही कम है। उन्होंने कहा, "अगर यह लचीलापन और समुत्थानशक्ति (रिज़िलेन्स) (2023 में) बनी रहती है तो अमेरिका एक बहुत ही मुश्किल वर्ष को पार करने में मददगार होगा।" उन्होंने कहा, "अमेरिकन अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली एवं समुत्थानशील है।"

इसी बीच, सी.बी.एस. से बात करते हुये, बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य अर्थशास्त्री माइकेल गेपन ने कहा कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था को झंझोड़ देने वाली मंदी का खतरा बहुत "ज्यादा" था, लेकिन कोई भी मंदी बहुत गहरी और लम्बे समय तक चलने वाली नहीं हो सकती है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908